

मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए शिक्षक जनजागृति पैदा करें: सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे

निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधन संघ की बैठक संपन्न



व्युज व्रीफ
घरेलू हवाई यात्री 15.4 करोड़ तक पहुंचने की संभावना
नई दिल्ली। घरेलू हवाई यात्री यातायात वित्त वर्ष 2023-24 में 13 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ लगभग 15.4 करोड़ तक पहुंच सकता है। विमान उद्योग की एक रिपोर्ट में यह जानकारी देते हुए कहा गया कि इस दौरान घरेलू एयरलाइंस का शुद्ध घाटा कम होकर 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए के बीच रहने की संभावना है।

जम्मू-कश्मीर को फिर मिलेगा राज्य का दर्जा: PM मोदी
उधमपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर उधमपुर रैली में जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की बात कही है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि आप अपने सपने साझा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यहां के चप्पे-चप्पे पर एक ही गुंज सुनाई दे रही है- फिर एक बार मोदी सरकार। साथ ही पीएम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर 10 साल के अंदर पूरी तरह से बदल चुका है। पीएम मोदी ने उधमपुर में कहा, जम्मू-कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होंगे, वह समय दूर नहीं जब जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होंगे। इसे वापस राज्य का दर्जा मिलेगा।

CBI को के.कविता की 15 अप्रैल तक मिली रिमांड

एजेंसी | नई दिल्ली
दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पूर्व CM केसीआर की बेटी के. कविता को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक CBI की कस्टडी में भेजा है। CBI ने कविता से पूछताछ करने के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी थी। CBI का कहना है कि शराब नीति से जुड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कविता का सबूतों से सामना करने की जरूरत है। उन्होंने AAP को रिश्तों के भुगतान के संबंध में संतोषजनक जवाब



फैसला सुरक्षित रख लिया था। कविता मनी लॉन्ड्रिंग केस में 26 मार्च से न्यायिक हिरासत में थीं। एजेंसी ने गुरुवार को के. कविता को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। रिमांड मिलने पर कविता को CBI ने हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, जहां उनसे पूछताछ होगी। इससे पहले CBI ने 6 अप्रैल को तिहाड़ में कविता से पूछताछ की थी। CBI ने कविता को IPC की धारा 120-बी, धारा 477-ए और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 (सरकारी कर्मचारियों को रिश्तों देने से संबंधित अपराध) के तहत गिरफ्तार किया है।

मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा

अज्ञात बंदूकधारियों की गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल
इंफाल। मणिपुर में एक बार फिर से गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि यह गोलीबारी थोबल जिले के हिरोक गांव के पास शुक्रवार को सशस्त्र ग्रामीण स्वयंसेवकों और अज्ञात बंदूकधारियों के बीच हुई है। उन्होंने आगे बताया कि गोलीबारी पहले अज्ञात बंदूकधारियों ने की, जिसके बाद गांव के स्वयंसेवकों को जवाबी कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक, दोनों के बीच गोलीबारी एक घंटे तक जारी रही। हालांकि, इसके बाद भी इलाके में छिटपुट गोलीबारी हुई। उन्होंने बताया कि इस



हादसे में निंगथौजम जेम्स सिंह नाम का एक व्यक्ति की गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। घायल को इंफाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी इलाज की जा रही है।

ED ने 230.16 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क की
कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल टीचर भर्ती घोटाले की जांच के तहत 230.16 करोड़ की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। कोलकाता जैनल टीम ने प्रसन्न कुमार रॉय और शांति प्रसाद सिन्हा को संपत्तियों को कुर्क किया। प्रसन्ना कुमार रॉय के नाम पर भूमि पारसल में पाथरघाटा में लगभग 96 कोट्टा (बंगाल में भूमि का एक माप), सुल्तानपुर में 117 कोट्टा, महेशतला में 282 कोट्टा और कोलकाता के न्यू टाउन में 136 कोट्टा शामिल हैं। शांति प्रसाद सिन्हा के नाम पर कुर्क की गई संपत्तियों में बंगाल अंबुजा हाउसिंग, पूर्व जादवपुर, कोलकाता में स्थित एक बेनामी फ्लैट और कपाशती में स्थित दो भूमि पारसल शामिल हैं। ये दोनों पहले से हिरासत में हैं।

मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए नई याचिका दायर की

कोर्ट ने CBI-ED से जवाब मांगा
एजेंसी | नई दिल्ली




आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए नई याचिका दायर की है। याचिका में इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने का हवाला दिया है। स्पेशल जज कावेरी बाबेजा ने मनीष की याचिका पर सुनवाई करते हुए CBI और ED को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। मनीष शराब नीति घोटाले केस में तिहाड़ में बंद

हैं। सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। वहीं, ED ने 9 मार्च 2023 को CBI की FIR से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। 28 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। सिसोदिया जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिका लगा चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज हो गई।

वायुसेना को देना होगा 1.54 करोड़ रुपए का मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट


एजेंसी | कश्मीर
जम्मू-कश्मीर के सांबा में साल 2002 में एक सैन्य अस्पताल में संक्रमित रक्त चढ़ाने के कारण एक बुजुर्ग को एचआईवी हो गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वायु सेना (आईएफ) को एचआईवी से पीड़ित बुजुर्ग को मुआवजे के तौर पर लगभग 1.54 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था। हालांकि, अदालत ने इस मामले पर अपने फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस दिवाकर दत्ता और पीबी चराले की पीठ ने कहा कि पिछले साल सितंबर के फैसले में ऐसी कोई गलती नहीं है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए।



सुप्रीम कोर्ट ने अपने सितंबर के फैसले में कहा कि अपीलकर्ता मुआवजे का हकदार है। इसी के साथ चिकित्सा लापरवाही के कारण मुआवजे के तौर पर 1,54,73,000 रुपये देने को कहा गया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में किसी पर व्यक्तिगत तौर पर दायित्व नहीं सौंपा जा सकता है।

तीसरी के पास आराम फरमाते मिले मौलाना

एजेंसी | लखनऊ
लखनऊ में एक हैरान कर देने वाला सामने आया है। यहां मौलाना के इंतजार में एक नहीं बल्कि दो-दो बीवियां थाने पहुंच गईं। मौलाना जब घर नहीं पहुंचे उनकी खोजबीन में दोनों बीवियों ने पुलिस को सहारा लिया। शौहर की खोजबीन के लिए दोनों बीवियों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। इसके बाद पुलिस ने अपनी खानबीन शुरू की। खानबीन के दौरान मौलाना जहां मिले उसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल मौलाना की जब खोजबीन शुरू हुई तो उसकी लोकेशन दूसरे शहर में मिली। पुलिस जब वहां पहुंची



तो मौलाना अपनी तीसरी बीवी के साथ आराम फरमाते मिले। इसके बाद पुलिस ने मौलाना को पकड़कर उसकी पहली पत्नी के हवाले कर दिया। ये मामला पूरे क्षेत्र में अब चर्चा का विषय बना हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने की याचिका खारिज: पीठ ने तीन अप्रैल को जारी अपने आदेश में कहा, हमने 26 सितंबर 2023 के फैसले और आदेश की समीक्षा याचिका का अध्ययन किया। इसमें कोई ऐसी गलती नहीं है, जिसपर हमें पुनर्विचार करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, समीक्षा याचिका में जिस राहत की मांग की गई है उस मांग के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं दिया गया है। इसलिए यह याचिका खारिज कर दी गई है। 13 दिसंबर 2001 में भारतीय संसद भवन पर आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन पराक्रम के दौरान कॉम्बेटेंट रैंक पर कार्यरत व्यक्ति के बीमार होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें एक यूनिट रक्त चढ़ाना पड़ा था।

क्या है मामला ? मामला सआदतगंज थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार 16 फरवरी को मौलाना मंजर अली अचानक से अपने घर से कहीं गायब हो गए थे। उसकी पहली बीवी काफी देर तक इंतजार करती रही लेकिन मौलाना घर वापस नहीं पहुंचे। इसके बाद मौलाना की खोजबीन शुरू की गई लेकिन फिर कुख्यात नहीं चला। फिर मौलाना की पहली बीवी सीधे सआदतगंज थाने पहुंची और अपने शौहर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी दौरान एक और महिला उसी थाने में पहुंच गईं। जैसे ही महिला ने मंजर अली का नाम लिया तो वहां खड़ी मंजर अली की पहली पत्नी सन्न रह गई। दूसरी महिला ने भी मंजर अली को अपना शौहर बताया और गुमशुदगी दर्ज कराई। पूछताछ में पता चला कि दोनों महिलाएं मंजर अली की बीवी हैं। पुलिस ने मौलाना की खोजबीन के लिए टीम बनाई। दोनों महिलाओं ने पुलिस को मौलाना क नंबर दिया। पुलिस ने मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डालकर उसकी लोकेशन ट्रेस की थी तो मोबाइल गॉड जिले में पाया गया। पुलिस लोकेशन पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गईं। मौलाना दोनों बीवियों को छोड़कर अपनी तीसरी बीवी के साथ रह रहे थे। इसके बाद पुलिस ने मौलाना को पकड़ और लखनऊ ले आई। पुलिस ने पहली पत्नी को बुलाकर मौलाना को उनके हवाले कर दिया।